न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 122/2013 **दायर दिनांकः 10.09.2013**

उनवान

1. श्यामप्रकाश उर्फ श्यामसुन्दर आयु 50 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति बैरागी निवासी सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
वादिया :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 12/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम सकतपुर तह0 अटरू जिला बारां में माफी श्री ठाकुर लक्ष्मीनारायण जी विराजमान मन्दिर गांव श्याम प्रकाश पुत्र रामदयाल जाति बैरागी निवासी सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0 के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 93 का रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा ख0नं0 96 का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ख0नं0 217 का रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 का रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त आराजी सम्वत् 2037 से 2040 की जमाबन्दी में वादी का नाम उप कृषक के रूप में दर्ज था तथा जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 में खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था तथा सम्वत् 2033 से 2036 में भी खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था तथा

भूप्रबन्धक विभाग की सेटलमेन्ट जमाबन्दी 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में भी वादी का नाम उप कृषक के रूप में दर्ज था। वाद पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी 2037 से 2040 सम्वत् 2029 से 2032 सम्वत् 2033 से 2036 तथा सेटलमेन्ट जमाबन्दी 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 पेश है। नकल जमाबन्दी 2037 से 2040 मिलान क्षैत्रफल तथा नवीन जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 212 का रकबा 0.65 है0, ख0नं0 214 का रकबा 0.99 है0 ख0नं0 215 का रकबा 0.01 है0 ख0नं0 551 का रकबा 0.25 है0 बनाये है। सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा सेटलमेन्ट करने के बाद नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से वादी का नाम जो राजस्व रिकार्ड में खातेदार कृषक के रूप में उपकृषक के रूप में दर्ज था। उसको विलोपित कर दिया है। हटा दिया गया। जबकि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी को वादी ही शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। राज्य शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा 2012 में पुजारियो का नाम राजस्व रिकार्ड में पुनः दर्ज करने के लिये मुख्य सचिव द्वारा अधिसूचना जारी करके नाम दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये गये थें जिसकी अनुपालना में सम्भागीय आयुक्त द्वारा तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित करने के आदेश भी दिये थे। जिसमें तहसीलदार द्वारा मंन्दिर माफी की आराजी के पुजारियों को भी नोटिस जारी किये गये थे तथा पुजारियों द्वारा अपना पक्ष रखते हुये तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र पेश किये गये थे लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश पर ही रोक लगा दी गई। अब दादी को प्रतिवादी बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 10.08.2012 को हल्का पटवारी द्वारा वादी को बेदखल करने बाबत् कहा गया और आराजी राज्य सरकार के कब्जे काश्त बाबत् कहा जबकि वादी उक्त आराजी को 30–40 वर्षो से शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है तथा मन्दिर श्री ठाकुर लक्ष्मीनारायण जी महाराज विराजमान सकतपुर की पूजा अर्चना सेवा भोग, मन्दिर की देखरेख अवेर सवेर मरम्मत इत्यादि भी वादी करता चला आ रहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल रहा और वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी से बैदखल कर दिया तो वादी को

अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है, तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावें कि वादी का नाम नवीन राजस्व रिकार्ड में पुराने रिकार्ड के मुताबिक खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावें अर्थात वादी को ख0नं0 212 का रकबा 0.65 है0, ख0नं0 214 का रकबा 0.99 है0 ख0नं0 215 का रकबा 0.01 है0 ख0नं0 551 का रकबा 0.25 है0 कुल किता 4 का रकबा 1.90 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी पाबन्द किया जावें कि वह वादी को उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें और न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। वादी द्वारा राज0 सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का हो चुका है। अगर नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि में प्रतिवादी द्वारा वादी के स्वामित्व की आराजी को कब्जा राज0 सरकार लेकर वादी को बेदखल कर दिया तो वादी का वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा इस वजह से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सी0पी0सी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10.08.2012 को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी को आराजी से बेदखल कर राजस्था सरकार में लेने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावें किः–

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करते हुये पूर्व रिकार्ड के मुताबिक वादी को आराजी ख0नं0 212 का रकबा 0.65 है0, ख0नं0 214 का रकबा 0.99 है0, ख0नं0 215 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 551 का रकबा 0.25 है0 वाके माल सकतपुर तहसील अटरू पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। पूर्व रिकार्ड के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावें।

(ब) स्थाई निषेघाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है।

साक्ष्यवादिया के तहत् PW_1 से PW_3 के बयान लेखबद्ध किये, रिकार्ड EXP किया रिपोर्ट तहसीलदार अटरू द्वारा पेश नही की गई,

उभयपक्ष की एक तरफा बहस सुनी मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम एवं माल सकतपुर की माफी ठाकुर लक्ष्मी नारायण जी विराजमान मंन्दिर के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 93 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा ख0नं0 96 रकबा 5 बिस्वा ख0नं0 217 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जिसमें वादी का उपकृषक के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 तथा 2033 से 2036 दर्ज है। तथा भू प्रबन्धक विभाग की सेटलमेन्ट जमाबन्दी 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में वादी का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज है। बाद सेटलमेन्ट नवीन जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व रिकार्ड में

उपकृषक के रूप में दर्ज था जिसकों विलोपित कर दिया प्रदर्श EXP-1 से स्पष्ट है। विवादित भूमि माफी मंन्दिर की थी जो बाद रिजूम की गई है। जो बिना विधिक प्रक्रिया से हटा दिये गया है। पूर्व में उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 खाता सं0 195 किता 3 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा मांगीदास के खाते की थी जो रजिस्टर हिब्बानामें के आधार पर नामा खोलकर वादी के नाम खातेदारी अधिकार दिये थे लेकिन सहवन से जमाबन्दी बनाते समय वादी का नाम हटाकर मन्दिर के नाम दर्ज कर दी गई।

साक्ष्य PW_1 व PW_2, PW_3 से स्पष्ट है कि वादी श्यामप्रकाश उर्फ श्यामलाल ही इस भूमि को वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम सकतपुर की खाता संख्या 363 ख0नं0 212 रकबा 0.65 है0 ख0नं0 214 रकबा 0.99 है0 ख0नं0 215 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 551 रकबा 0.25 है0, पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 122/2013

उनवान

1. श्यामप्रकाश उर्फ श्यामसुन्दर आयु 50 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति बैरागी निवासी सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
बहाजिर :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम सकतपुर की खाता संख्या 363 ख0नं0 212 रकबा 0.65 है0 ख0नं0 214 रकबा 0.99 है0 ख0नं0 215 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 551 रकबा 0.25 है0, पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:32:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: